नईदुनिया

भोपाल, 7 नवम्बर 2026

सोनकच्छ टोल पर 6.64 किलो एंफेटामाइन के साथ आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली से भोपाल आ रही बस में पाँच करोड़ 32 लाख की ड्रग्स बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली से भोपाल आ रही एक यात्री बस में सफर कर रहे तस्कर के पास से 6.642 किलोग्राम एम्फेटामाइन ड्रग्स बरामद की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 5 करोड़ 32 लाख रुपये आंकी गई है। डीआरआई की टीम ने सोनकच्छ टोल प्लाजा पर बस को रोककर आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से 48 हजार 400 रुपये नकद भी मिले हैं।

गोपनीय सूचना पर सोनकच्छ टोल प्लाजा में घेराबंदी

डीआरआई को सूचना मिली थी कि दिल्ली से भोपाल आ रही एक बस में मादक पदार्थों की खेप ले जाई जा रही है। इसके बाद टीम ने पांच नवंबर को सोनकच्छ टोल प्लाजा पर निगरानी शुरू की। संदिग्ध बस के पहुंचते ही उसे इंटरसेप्ट कर तलाशी ली गई। इस दौरान एक यात्री के हल्के भूरे रंग के बैग से चांदी जैसे रंग के तीन प्लास्टिक पैकेट मिले। इनमें सफेद क्रिस्टल जैसा पदार्थ भरा हुआ था। जांच में पैकेटों का कुल वजन 6.642 किलोग्राम पाया गया। एनडीपीएस फील्ड टेस्ट किट से परीक्षण करने पर पदार्थ के एम्फेटामाइन होने की पुष्टि हुई। डीआरआई ने पूरी खेप जब्त कर आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम-1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया।



भोपाल में ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क की तलाश

डीआरआई अब यह पता लगाने में जुटी है कि एम्फेटामाइन की खेप कहां से लाई गई थी और भोपाल में इसकी डिलीवरी किसे दी जानी थी। जांच एजेंसी तस्करी के अंतरराज्यीय नेटवर्क, सप्लाई चेन और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।

बेंगलुरु के ड्रग्स केस में पहले भी आरोपी

जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि गिरफ्तार आरोपी बेंगलुरु में दर्ज एक अन्य एनडीपीएस मामले में भी आरोपी है और फिलहाल जमानत पर बाहर था। उसके पास से मिले 48,400 रुपये को भी एजेंसी ने जब्त कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने इस रकम के मादक पदार्थों की तस्करी से मिलने की बात स्वीकार की।

अक्टूबर में महिला यात्री से मिली थी 2 करोड़ की ड्रग्स

इससे पहले 15 अक्टूबर को डीआरआई ने एक महिला यात्री को भी गिरफ्तार किया था। उसके पास से 2.604 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ था, जिसकी कीमत करीब 2.08 करोड़ रुपये बताई गई थी। शुरुआती जांच में इसमें मेथाम्फेटामाइन होने की पुष्टि हुई थी। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से भोपाल में ड्रग्स तस्करी के अंतरराज्यीय नेटवर्क की जांच तेज हो गई है।

श्री गुरुकृपा सेवा समिति ने 200 परिवारों को मिठाई वितरित की

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिरदाराम नगरः श्रीं गुरुकृपा सेवा समिति द्वारा दीपावली पर 200 रिब परिवारों को मिठाई वितरित की गई। पार्षद अशोक मारण पूज्य सिंधी पंचायत के महासचिव राजकुमार वाधवानी कपडा एसोशिएशन के महासचिव दिनेश वाधवानी समाजसेवी राज़ मनवानी श्रीं गुरुकृपा सेवा समिति समिति के अध्यक्ष महेश गुरबानी पूज्य सिंधी पंचायत के कोषाध्यक्ष राकेश शेवानी समिति की उपाध्यक्ष भावना उदासी , मुकेश आहुजा मुकेश उदासी सुमित पंजवानी , प्रकाश विधानी, रवि आसुदानी, कैलाश फुलवानी, लखमीचंद बतरा, महेश जागवानी उपस्थित थे। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए समिति के अध्यक्ष महेश गुरबानी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हमारा सदैव यही प्रयास रहता है कि त्योहारों के समय हर किसी के चहेरे पर एक मुस्कान हो चाहे वह अमिर हो या गरिब आज हमें इस प्रकार की सेवा कार्य करते हुए यह सातवां वर्ष है इस अवसर पर पार्षद अशोक मारण ने कहा की आज नगर में पैसों वालों की कमी नहीं है पर सेवा का भाव नहीं है इसलिए सभी इस प्रकार की सेवा कार्य करते रहना चाहिए यहां पर उपस्थित पूज्य सिंधी पंचायत के महासचिव राजकुमार वाधवानी एवं कपडा एसोशिएशन के महासचिव दिनेश वाधवानी ने समिति की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह हम सबका सौभाग्य है कि हमें इस प्रकार सेवा करने का मौका मिला है यहां पर कार्यक्रम का संचालन पूज्य सिंधी पंचायत के कोषाध्यक्ष राकेश शेवानी ने किया तथा आभार भावना उदासी ने वक्त किया।



जागरूक बचपन, सशक्त भारत विधिक जागरूकता कार्यक्रम



नईदुनिया प्रतिनिधि, हिरदाराम नगरः राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में बाल निकेतन संस्था में सुरक्षित बचपन अभियान में जागरूक बचपन, सशक्त भारत विषय पर एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा, शिक्षा और विधिक संरक्षण से जुड़े कानूनों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान जिला न्यायाधीश एवं सचिव हिमांशु कौशल ने बच्चों को संविधान के अनुच्छेद 21-क और 39-क के तहत सुरक्षित वातावरण, शिक्षा और भयमुक्त जीवन जीने के अधिकार के बारे में बताया तथा किसी भी शोषण या हिंसा की स्थिति में बिना डरे अपनी बात रखने के लिए प्रेरित किया। असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल दीपेश ठाकुर ने पॉक्सो अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जानकारी देते हुए अच्छे-बुरे स्पर्श और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनी पहलुओं को सरल भाषा में समझाया। राजकुमार थवानी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मिलने वाली नि:शुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी और बताया कि धारा 12 के तहत सभी बच्चे इसके पात्र हैं, साथ ही उन्होंने टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी बताया। आवाज संस्था के कोऑर्डिनेटर नितिन व्यास ने बच्चों को साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग और इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के प्रति आगाह करते हुए साइबर हेल्पलाइन 1930 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी दी। इस अवसर पर बच्चों के लिए चित्रकला, निबंध, स्लोगन और क्विज जैसी रचनात्मक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंत में संस्था के प्रमुख हरिओम शर्मा ने सभी अतिथियों और सहभागियों का आभार व्यक्त किया। यह अनूठी पहल बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने और एक सुरक्षित व सशक्त बचपन के निर्माण की दिशा में बेहद सार्थक साबित हुई।

टैक्स वसूली पूरी, फिर भी भोपाल में सफाई व्यवस्था बदहाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल और बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अनिकेत द्विवेदी ने नगर निगम प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम जनता से संपत्ति कर, जलकर और सफाई शुल्क नियमित रूप से वसूल रहा है, लेकिन इसके बावजूद नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। श्री द्विवेदी ने कहा कि शहर की सड़कों और घरों के बाहर कचरे के ढेर लगे हैं। मंत्रालय के सामने तक गंदगी दिखाई दे रही है। इससे स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जनता से वसूले गए टैक्स का कितना हिस्सा सफाई व्यवस्था पर खर्च किया जा रहा है और स्वच्छता बजट का वार्डवार विवरण सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता।

छात्रवृत्तियों पर विवाद, 18 से आंदोलन का ऐलान

भोपाल। मध्य प्रदेश में ओबीसी विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना 2025-26 की 14 रिक्त छात्रवृत्तियों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जेएवाई मूवमेंट ओबीसी के संस्थापक लखपत गुर्जर ने आरोप लगाया कि सरकार ने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आरोप है कि इसमें पीएम-यशस्वी योजना के टॉप क्लास कॉलेज और स्कूल के विद्यार्थियों को 25%अतिरिक्त वेटेज दिया गया है।

मध्य प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों का होगा निराकरण

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मप्र में वर्षों से लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए राज्य सरकार विशेष अभियान चलाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को लंबित मामलों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के विभिन्न विभागों, संभाग और जिला स्तर के कार्यालयों में पद उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति के कई प्रकरण लंबित हैं। हाल ही में विशेष अभियान के तहत बड़े स्तर पर पदोन्नतियां की गई हैं। इससे विभिन्न संवर्गों में पद उपलब्ध होने की स्थिति बनी है। सरकार ने इन रिक्त पदों का लाभ उठाते हुए विशेष अभियान के माध्यम से सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण करने को कहा है। अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत किसी शासकीय सेवक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाती है।

मैहर में 13 नवंबर से सजेगी शास्त्रीय संगीत की महफिल

भोपाल, 6 नवंबर। पद्म विभूषण उस्ताद अलाउद्दीन खां की स्मृति में

52वां उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह होगा आयोजित

मैहर में 13 से 15 नवंबर तक 52वें संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। संस्कृति विभाग की उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा आयोजित समारोह का शुभारंभ राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी 13 नवंबर को करेंगे। अकादमी के अनुसार, समारोह की पूर्व संध्या पर 12 नवंबर को पूर्वरंग का आयोजन होगा, जिसमें स्थानीय कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। तीन दिवसीय समारोह में देशभर के प्रसिद्ध कलाकार शास्त्रीय गायन, सरोद, संतूर, बांसुरी वादन और कथक, भरतनाट्यम एवं ओडिसी नृत्य प्रस्तुत करेंगे। 15 नवंबर को कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ समारोह का समापन होगा।

जाहिर सूचना
(रजिस्ट्री गुम होने के संबंध में)

मैं आपनी पक्षकार पी. एन. बी. हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड भोपाल की ओर से सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरे पक्षकार के समक्ष श्री संगीता देवी पत्नी श्री इन्द्रदेव प्रजापति निवासी- शीतल होम्स मण्डीदीप तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र ने ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक कित्ता आवासीय प्लॉट क्रमांक 72 जो कि वार्ड नं. 17 नवीन वार्ड नं. 23 शीतल होम्स मण्डीदीप तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र. में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 16 × 30 अर्थात 480 वर्गफीट है। यह खसरा क्रमांक 449/2, रकबा 2.00 एकड़, खसरा क्रमांक 449/1/3/1/1/1/1 के अंश भाग पर स्थित है। जो कि मण्डीदीप तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र. में स्थित है। यह रायसेन की सीमा के अंतर्गत आती है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व में: मकान नं. 71, पश्चिम में: मकान नं. 73, उत्तर में: अन्य का मकान, दक्षिण में: कालोनी रोड है। उक्त सम्पति उप पंजीयक कार्यालय से मुझे उक्त प्लाट की पूर्व की दो चैन रजिस्ट्रियों की मूल प्रति प्राप्त हुई थी। मुझसे श्री परशुराम मिश्रा आत्मज श्री बृजलाल प्रसाद मिश्रा व सुखेन्द्र सिंह के मध्य हुई रजिस्ट्री की मूल प्रति मंगल मार्केट मण्डीदीप में गुम हो गयी थी। जो दिनांक 29/03/2010 अतिरिक्त पुस्तक क्रमांक अ-1, ग्रंथ क्रमांक 1822, दास्तावेज क्रमांक 1973 है जो कि उप पंजीयक कार्यालय ओबेदुल्लागंज में पंजीबद्ध है। उपरोक्त मूल रजिस्ट्री जो कि मुझसे मंगल मार्केट मण्डीदीप में गुम हो गयी है। जिसकी गुम होने की शिकायत पुलिस थाना मण्डीदीप तहसील गौहरगंज जिला रायसेन (म.प्र.) को करा दी गई थी। ताकिदे जानिये कि मेरे पक्षकार पी. एन. बी. हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड भोपाल द्वारा उक्त सम्पति पर ऋण दिये जाने की प्रक्रिया होनी है। यदि किसी व्यक्ति, संस्था द्वारा उक्त रजिस्ट्री का दुरुपयोग किया जाता है, अपराधिक आशय से उसका दुर्विनियोग करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार सूचना दाता के पास सुरक्षित रहेगा। यदि उपरोक्त वर्णित संपत्ति में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, सोसायटी, शासकीय अथवा अर्धशासकीय निकाय का अनुबंध, स्वत्व, अधिपत्य, हित, ऋण, बंधक, भार अथवा अन्य किसी भी प्रकार का विवाद हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेजों के साथ इस सूचना पत्र प्रकाशन के 07 दिवस की अवधि के अंदर मुझसे, मेरे कार्यालय में संपर्क स्थापित करें एवं आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त समयावधि के बाद आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी।

राजेन्द्र सिंह राजपूत,अधिवक्ता
308 बी डी ए कॉम्पलेक्स,
शिवाजी नगर भोपाल
मो. नं. 9039246080

चार पुलिसकर्मियों को चकमा देकर बदमाश हुआ चंपत, दोबारा पकड़ाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः कोलार थाना पुलिस के चार पुलिसकर्मियों को चकमा देकर एक बदमाश हिरासत से भाग निकला। लगभग आधा घंटे की मशक्कत के बाद उसे दोबारा दबोच लिया गया। पुलिस ने उसे चोरी के बड़े मामले में संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कोलार थाने से मिली जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में हुई एक चोरी के मामले में हिरासत में लिए गए युवक ने पूछताछ में बताया था कि चोरी का माल कटारा हिल्स क्षेत्र में रहने वाले कृष्णा गिरि के पास रखा हुआ है। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वह घर से और इलाके से गायब था। इस बीच मुखबिर से पता चला कि वह दीपावली मनाने घर आने वाला है। पुलिस ने निगरानी लगाते हुए कृष्णा को हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ के बाद एसआई शिवेंद्र पाठक, एसआई कमल सिंह, प्रधान आरक्षक दौलतराम और आरक्षक रवि पाल माल शुक्रवार रात आठ बजे माल की बरामदगी के लिए उसे लेकर उसके घर जा रहे थे। रास्ते में वह चकमा देकर चंपत हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे दोबारा हिरासत में ले लिया। कृष्णा बागसेवनिया थाने का निगरानी बदमाश है। उसके खिलाफ चोरी के मामले पूर्व के दर्ज हैं। कई प्रकरणों में पुलिस को उसकी तलाश भी थी।

महानगर बैंक में धन की देवी की पूजा, समृद्धि की कामना

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिरदाराम नगरः महानागरिक सहकारी बैंक, संत हिरदाराम नगर में धनतेरस पर पूजन का आयोजन किया गया। बैंक अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष (मध्य प्रदेश आवास संघ, राज्यमंत्री दर्जा) सुशील वासवानी ने बैंक में माँ लक्ष्मी की पूजा-अर्चना कर ईश्वर से प्रार्थना की और कहा कि बैंक के समस्त ग्राहक एवं अंशधारक सदस्य संपन्न रहें तथा अपने व्यवसाय में निरंतर प्रगतिशील हों। उन्होंने यह भी बताया कि बैंक पिछले 30 वर्षों से प्रतिवर्ष अपने ग्राहकों के लिए लक्ष्मी पूजन कर उनकी समृद्धि की मनोकामना करता है। इस अवसर पर बैंक के मुख्य कार्यपालक प्रकाश आसूदानी, राजेश हिंगोरानी, नरेश वासवानी, नरेंद्र लालवानी, ईश्वर चेलाणी सहित बैंक के तमाम स्टाफ सदस्य, गणमान्य नागरिक एवं ग्राहक उपस्थित रहे।



मुख्यमंत्री ने पंवार के निधन पर दुःख व्यक्त किया

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्यमंत्री नारायण सिंह पंवार के बड़े भाई बापूलाल पंवार के असामयिक निधन पर गहन शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस दुःख की घड़ी में हम सभी की संवेदनाएं श्री पंवार के साथ हैं। उन्होंने ने बाबा महाकाल से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिवार को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की है।

कार्यालय प्राचार्य सरदार वल्लभभाई पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल
निविदा का संक्षिप्त विज्ञापन

क्रमांक/स.व.प./भंडार/ 2026/.2113 **भोपाल, दिनांक 05/11/2026**

सरदार वल्लभभाई पॉलीटेक्निक महाविद्यालय श्यामला हिल्स भोपाल द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से नॉन लीनियर एडिटिंग मशीन एवं आल इन वन पीसी क्रय हेतु निविदा जारी की गई है। जारी निविदा मे समिलित होने हेतु जेम पोर्टल के माध्यम से पोर्टल पर दर्शित प्रक्रियानुसार निविदा मे भाग ले सकते है।

जारी की गई निविदा :
GEM/2026/B/8232579

निविदा मे कोई भी संशोधन (यदि किया जाता है तब) जेम पोर्टल मे ही अपलोड किया जावेगा। उसका प्रकाशन पृथक से नही कराया जाएगा।

जी-21186/26 **प्राचार्य**

कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकों को मिलेगा डिजिटल प्रशस्ति-पत्र

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग ने 'हमारे शिक्षक' ऐप का नियमित और प्रभावी उपयोग करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल प्रशस्ति-पत्र देने की पहल की है। इस संबंध में विभाग के सचिव डॉ. संजय गोयल ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को लोक शिक्षण संचालनालय में आयोजित बैठक में डॉ. गोयल ने विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नियमित और समय पर उपस्थिति दर्ज करने वाले तथा ऐप के माध्यम से अवकाश आवेदन सहित अन्य कार्य करने वाले शिक्षकों को डिजिटल प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए जाएं। बैठक में आयुक्त लोक शिक्षण अभिषेक सिंह, अपर मिशन संचालक नंदा भलावे कुशरे, संचालक डॉ. कामना आचार्य सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल हरदा
07577-222003, 07577 224224, Email:dfotharda@mp.gov.in
विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि हरदा सामान्य वन मंडल के जप्तशुदा राजसात वाहन (जहाँ है जैसा है) के विक्रय हेतु मुहरबंद निविदायें वन मंडल कार्यालय सामान्य हरदा में दिनांक 13.11.2026 को 3.00 बजे तक आमंत्रित की गई है, जो कि उक्त दिनांक 13.11.2026 को दिन के 3.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी तथा प्राप्त निविदायें उपस्थित निविदाकारों के समक्ष दिनांक 13.11.2026 को ही 4.00 बजे खोली जावेगी। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदा मान्य नही होगी।

जप्त राजसात वाहन का विवरण जिनका निविदा द्वारा विक्रय किया जाना हैं

अ. क्र.	वाहन का क्रमांक	वाहन का नाम	वाहन का प्रकार	स्थान जहाँ वाहन रखा है।
1	2	3	4	5
1	MP09CF9709	पीकअप वाहन	चार पहिया वाहन	निस्तार डिपो खिरकिया

निविदाकार के लिये निम्नानुसार शर्तें बंधनकारी होगी :-

01. निविदा फार्म अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किये जा सकेगें। प्रति निविदा फार्म की कीमत रूपयें 100/- नगद जमा करानी होगी जो वापसी योग्य नही होगी। निविदा फार्म दिनांक 13.11.2026 को दोपहर 02:00 बजे तक ही प्रदाय किये जावेगें।
02. निविदाकार को चार पहिया वाहन की जमानत के रूप मे राशि रूपये 5000/- का बैंक ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक का अधोस्ताक्षरकर्ता के पदनाम (वन मंडल अधिकारी सामान्य हरदा) से जो हरदा में देय हो प्रस्तुत करना होगा।
03. वाहनों के रजिस्ट्रेशन सबंधी कोई कागजात उपलब्ध नही हैं, और न ही उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी विभाग की होगी।
04 वाहन पर किसी संस्थान/बैंक/निजी व्यक्ति फायनेंस बावत् कोई जिम्मेंदारी विभाग की नही होगी।
05. सफल निविदाकार को वाहन क्रय की स्वीकृति प्रदान करने के 15 दिनों के अन्दर वाहन की शेष राशि एवं क्रय वाहन की कीमत पर शासन निर्देशानुसार 18 प्रतिशत जी.एस.टी. राशि का बैंक ड्राफ्ट पृथक से जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा जमानत की राशि राजसात करते हुए वाहन क्रय की स्वीकृति निरस्त कर दी जावेगी।
06. निविदा में उल्लेखित जप्तशुदा राजसात वाहन वर्तमान में जहाँ जैसा है, निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में उसी हालत में प्राप्त करना होगा।
07. परिवहन विभाग में वाहन को पंजीकृत कराने का दायित्व क्रेता का होगा।
08. निविदा की विस्तृत शर्तें दिनांक 13.11.2026 तक कार्यालयीन समय में वनमंडल कार्यालय में देखी जा सकेगी।
09. निविदाकार उक्त वाहनों का अवलोकन/भौतिक सत्यापन कार्यालयीन समय में दर्शाये गये स्थानों पर कर सकेगें तथा भौतिक सत्यापन पश्चात निविदा फार्म का क्रय एवं निविदा फार्म डालेगें। निविदा दिनांक को वर्णित वाहनों के संबंध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
10. निविदा मान्य अथवा अमान्य करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
11. विवाद की स्थिति में हरदा ज्युडिशियल क्षेत्र होगा।

जी-21204/26

वन मंडलाधिकारी
हरदा (सामान्य) वन मंडल

सार्थक दीपावली — सेवा बस्ती की बेटियों के साथ मनाई दीपावली...

बेटियों के चेहरे पर मुस्कान, हर घर में खुशियों का उजाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनपूः दीपावली एवं धनतेरस पर बेटियों के सम्मान और उनके जीवन में खुशियों का उजाला लाने के संकल्प के साथ 'लक्ष्मी का वरदान है बेटी, धरती पर भगवान है बेटी' संदेश के तहत सेवा बस्ती की नन्हीं बेटियों के बीच दीपावली का पर्व मनाया गया। सेवा बस्ती की बच्चियों को पटाखे, मिठाइयां एवं मिष्ठान वितरित किए गए। इस अवसर पर राकेश कुकरेजा ने कहा कि बेटियां किसी परिवार की खुशियां ही नहीं, बल्कि समाज की शक्ति और राष्ट्र का उज्ज्वल भविष्य हैं। जिस घर में बेटी की मुस्कान गूंजती है, वहां खुशियों के दीपक हमेशा रोशन रहते हैं। बेटियों को सम्मान, स्नेह, सुरक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर देना हम सभी की सामाजिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि दीपावली का वास्तविक आनंद तभी सार्थक होता है, जब हमारी खुशियों में समाज का हर वर्ग शामिल हो और किसी भी बेटी के चेहरे पर मुस्कान लाने का अवसर हमसे न छूटे। समाज को बेटियों के सम्मान, स्नेह और उनके उज्ज्वल भविष्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में राजा शर्मा, भगवानदास ढालिया, राजकुमारी, सुकांति ठकुरिया, लक्ष्मी महाजन, गोवर्धन, जितेन्द्र डागोर, चंदू यादव, अंकित वर्मा, दुर्गेश सहित बड़ी संख्या लोग मौजूद थे।

